

# कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/म.गा एवं गुण. अनु./गुण0प्र0/RKSMBK/61186/2021-22

दिनांक 14.07.22

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।  
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

**विषय:-** 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्कबुक वितरण एवं शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में।

**प्रसंग:-** इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.06.2022 तथा रा. स्कूल शिक्षा परिषद् का पत्र दिनांक 17.06.2022 तथा आरएससीईआरटी के पत्र दिनांक 27.06.2022 एवं 08.07.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम में कक्षा 3-8 के विद्यार्थियों के रेमेडिएशन हेतु निर्मित कार्यपुस्तिकाओं का वितरण समसा द्वारा ब्लॉक स्तर तक किया जा चुका है। परन्तु विद्यालय तथा विद्यार्थियों तक वर्कबुक्स का वितरण आज दिनांक तक भी संतोषजनक नहीं है। आरएससीईआरटी के पत्र दिनांक 27.06.2022 द्वारा जारी निर्देशों से शिक्षक प्रशिक्षण निर्धारित टाइमलाईन के अनुरूप करवाया जा रहा है। जिसमें शिक्षक, पीईईओ/यूसीईईओ की उपस्थिति भी अत्याधिक न्यून है। यह प्रवृत्ति इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन व प्रभावी प्रबोधन हेतु निम्नांकित अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया जाता है-

- जिला स्तर पर - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
- ब्लॉक स्तर पर - मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
- विद्यालय स्तर पर - पीईईओ/यूसीईईओ

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों तक वर्कबुक वितरण कर इसकी शाला दर्पण पर प्रति दिवस डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करें। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में वर्क बुक वितरण की ब्लॉकवार तथा विद्यालयवार सूचना शालादर्पण पोर्टल से निकालकर प्रतिदिवस साय 5.00 बजे से पूर्व इस विभाग की ई-मेल आईडी [qni.dir.edu@gmail.com](mailto:qni.dir.edu@gmail.com) पर उपलब्ध करवाएंगे।

साथ ही प्रशिक्षण के लिए अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु पाबन्द करें एवं प्रशिक्षण में भाग न लेने वाले अधिकारियों/कार्मिकों पर कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत करवाने का श्रम करें।

(गौरव अग्रवाल)


आई.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।

5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा --समस्त जिले।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. मैनेजर, गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।



  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा विभाग  
बीकानेर